

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला - अजमेर

प्रकरण संख्या: 130/2019

सरकार जरिए पटवारी हल्का

डिराप

बनाम

इदा

पुत्र

गौरी लाल

जाति

गुर्जर

निवासी

मोक्षपुरा

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

—:निर्णय—

दिनांक 20/4.6.19

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का डिराप द्वारा संवत् 2076 ग्राम डिराप की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 651 कुल रकबा 19-05 बीघा किस्म भूमि का. 3 में से रकबा 81 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री इदा पुत्र गौरीलाल जाति गुर्जर निवासी मोक्षपुरा द्वारा नाजायज कब्जे/काश्त कर लिए जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 14.6.19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री इदा पुत्र गौरीलाल जाति गुर्जर निवासी मोक्षपुरा को सिवायचक भूमि ग्राम मोक्षपुरा के खसरा नम्बर 651 कुल रकबा 19-05 किस्म भूमि 81 में से रकबा 81 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 1.28 को पचास गुणा 64/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/ अन्य को जब्त कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नियर्ण आज दिनांक 16.5.19 को भरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया

(प्रमाण निमा) तहसीलदार (जिला-अजमेर) जिला - अजमेर

